मध्यप्रदेश शासन

वित्त विभाग

मंत्रालय

कमांक/पत्र क0 2190/1765/2001/ई/चार/ भोपाल दिनांक 7/10/2014

प्रति,

शासन के समस्त विभाग।

अध्यक्ष, राजस्व मण्डल म0प्र0 ग्वालियर।

समस्त विभागाध्यक्ष।

समस्त संभागायुक्त।

समस्त एम0डी0निगम/कार्पोरेशन।

समस्त कलेक्टर/समस्त कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत म0प्र0।

समस्त रजिस्ट्रार विश्वविद्यालय।

विषय:- वित्त विभाग द्वारा विभिन्न विभागों के अंतर्गत मध्यप्रदेश वित्त तथा लेखा सेवा/मध्यप्रदेश अधीनस्थ लेखा सेवा की पदस्थापना- संबधित विभागों के अधिकारियों द्वारा ऐसे अधिकारियों को कार्यभार ग्रहण न कराना एवं एक तरफा कार्यमुक्त कर देना।

संदर्भ:- वित्त विभाग का पत्र क0 2190/1765/2001/ई/चार भोपाल दिनांक 16.10.2001

--0--

वित्त विभाग के संदर्भित पत्र द्वारा समस्त विभागों, विभागाध्यक्ष कार्यालयों, उपकमों, निगमों, मण्डलों आदि में वित्त विभाग/आयुक्त कोष एव लेखा द्वारा पदस्थ किये गये म0प्र0 वित्त सेवा के/म0प्र0 अधीनस्थ लेखा सेवा के अधिकारियों को एक तरफा भारमुक्त न करने के संबंध में निर्देश जारी किये गये थे।

वित्त विभाग के ध्यान में कुछ ऐसे प्रकरण आये हैं जिनमें विभागों/कार्यालयों द्वारा वित्त सेवा/अधीनस्थ लेखा सेवा के अधिकारियों को वित्त विभाग की सहमति के बिना एक तरफा बिना कोई कारण बतलाये कार्यमुक्त कर दिया गया है। ऐसे अधिकारी अपनी अस्थाई ज्वाईनिंग कार्यालय आयुक्त, कोष एवं लेखा में देते हैं। कार्यालय आयुक्त, कोष एवं लेखा में रिक्त पदों के अभाव में अधिकारियों के वेतन भत्ते आहरण में कठिनाई पैदा होती है, तथा संवर्ग प्रबंधन में प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है।

उल्लेखित कठिनाईयों को दृष्टिगत रखते हुये यह निर्देश जारी किये जाते हैं कि विभागाध्यक्ष कार्यालयों/निगम मंडल तथा अन्य कार्यालयों में संवर्गीय/असवर्गीय पदो पर पदस्थ वित्त सेवा अधिकारी एवं अधीनस्थ लेखा सेवा अधिकारियों को वित्त विभाग की सहमति/आदेश के बिना एक तरफा भारमुक्त न किया जाये। यदि कोई कार्यालय

उनके यहां पदस्थ वित्त सेवा अधिकारियों के कार्यो से असंतुष्ट है, तो उस अधिकारी के कार्यो की टीप तैयार कर विभागाध्यक्ष अपने प्रशासकीय विभाग के सचिव/प्रमुख सचिव के माध्यम से अपर मुख्य सचिव (वित्त) को अवगत करा सकते हैं।

उपरोक्त निर्देशों का पालन नहीं किये जाने की स्थिति में विभाग में स्वीकृत पद के विरूद्ध वित्त विभाग के अधिकारी की पदस्थापना भविष्य में नहीं की जायेगी।

(अजयनाथ) 1.10.2014
अपर मुख्य सचिव
मध्यप्रदेश शासन
वित्त विभाग

Galaxy A33 5G